



सत्यमेव जयते

Government Of India



केंद्रीय सतर्कता आयोग

Central Vigilance Commission

सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2023

Vigilance Awareness Week -2023

30<sup>th</sup> October to 5<sup>th</sup> November, 2023

“भ्रष्टाचार का विरोध करें; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें”

“Say no to corruption; commit to the Nation”

National Institute of Sowa Rigpa (NISR)

Ministry of AYUSH

Government of India

Behind Main Post Office, Leh, Ladakh 194101



## सार्वजनिक हित प्रकटीकरण & सूचना देने वाले की सुरक्षा संकल्प, 2004 (पीआईडीपीआई)

क्या है आईडीपीआई?	<ul style="list-style-type: none"><li>• PIDPI भारत सरकार का एक संकल्प है</li><li>• शिकायतकर्ता की पहचान सभी के लिए गोपनीय रखी जाती है इसके तहत शिकायतें दर्ज की गईं</li></ul>
पिडपी कैसी है? शिकायत दायर किया गया?	<ul style="list-style-type: none"><li>• शिकायत सचिव को संबोधित होनी चाहिए, सीवीसी और लिफाफे के ऊपर "पीआईडीपीआई" लिखा होना चाहिए</li><li>• लिफाफे पर शिकायतकर्ता का नाम और पता अंकित नहीं होना चाहिए लेकिन अंदर एक पत्र बंद किया हुआ</li></ul>
सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश की पहचान शिकायतकर्ता अवशेष गोपनीय	<ul style="list-style-type: none"><li>• जो शिकायतें व्यक्तिगत रूप से शिकायतकर्ता से संबंधित हैं या अन्य अधिकारियों को संबोधित हैं, उनमें पहचान का खुलासा हो सकता है।</li><li>• शिकायतें खुली स्थिति में या सार्वजनिक पोर्टल पर नहीं भेजी जानी चाहिए</li><li>• पहचान उजागर करने वाले दस्तावेज़ संलग्न नहीं किए जाने चाहिए या शिकायत में उल्लेखित है। जैसे: आरटीआई के तहत प्राप्त दस्तावेज</li><li>• पुष्टि के लिए लिफाफे के अंदर पत्र पर नाम और पता का उल्लेख किया जाना चाहिए।</li><li>• जिन शिकायतों की पुष्टि नहीं हुई है उन्हें बंद कर दिया जाता है।</li><li>• गुमनाम/छद्म नाम वाले पत्रों पर विचार नहीं किया जाता है</li></ul>

अधिक जानकारी के लिए विजिट करें

**सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023**

<https://www.cvc.gov.in>



# PUBLIC INTEREST DISCLOSURE & PROTECTION OF INFORMER RESOLUTION, 2004 (PIDPI)

## WHAT IS PIDPI?

- PIDPI is a resolution of Government of India
- Identity of the complainant is kept confidential for all complaints lodged under it

## HOW IS PIDPI COMPLAINT FILED?

- The Complaint should be addressed to Secretary, CVC and the envelope should be superscribed as “PIDPI”
- Name and Address of the complainant should NOT be mentioned on the envelope but in the letter inside in a closed cover

## GUIDELINES TO ENSURE IDENTITY OF COMPLAINANT REMAINS CONFIDENTIAL

- Complaints that are personally related to the complainant or addressed to other authorities may lead to disclosure of identity.
- Complaints should not be sent in open condition or on public portal
- Documents that reveal identity should not be enclosed or mentioned in the complaint. Eg: documents received under RTI
- Name and Address should be mentioned on the letter inside the envelope for confirmation purposes.
- Complaints where confirmation is not received are closed.
- Anonymous / pseudonymous letters are not entertained

**VIGILANCE AWARENESS WEEK 2023**

For more details visit  
<https://www.cvc.gov.in>

